# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- सिवनी (म.प्र.)

**--आदेश--**

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत पारित)

क्रमांक/ 2238 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 31/03/ 2020

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फेलने के संबंध मे यह पाया जा रहा है कि जिला सिवनी में कुछ व्यक्तियों, समूहो, असामाजिक तत्वो के द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टिव्टर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमो से भाम्रक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियों मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

अतः मै प्रवीण सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थय एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा करता हूँ किः-

1 कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा – व्हाट्सएप, फेसबुक, टिव्टर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमो पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा और न ही फारवार्डिंग करेगा।

2 **यह आदेश दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 30/4/2020 तक लागू रहेगा।**

3 इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का विधिवत् प्रकाशन एवं प्रसारण किया जाए।

**(प्रवीण सिंह)**
**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,**
**सिवनी**

पृ.क्रमांक/ 2238-A /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :-

1- कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2- पुलिस अधीक्षक, सिवनी उक्तानुसार आदेश का अक्षरशः पालन करावें तथा अधिनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें।
3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4- सर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ................. जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5- सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार ................ जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी /बरघाट/लखनादौन जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, कृप्या आदेश का प्रचार–प्रसार करावें।
7- सहायक संचालक, जनसंपर्क सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,**
**सिवनी**

Scanned with CamScanner